भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1183
दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा

1183. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में स्वास्थ्य बीमा कवरेज का बुन्देलखण्ड सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार इसके लिए कोई प्रयास कर रही है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आसानी से स्वास्थ्य बीमा मिल सके; और
(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (ङ): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जो लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। लाभार्थियों की यह संख्या, भारत की आबादी के सबसे निचले 40% भाग के अंतर्गत आने वाले 12 करोड़ परिवारों से है। एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी लागत पर लाभार्थी आधार का और विस्तार किया है। स्कीम के अंतर्गत पात्र परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

भारत के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सात जिले और मध्य प्रदेश के छह जिले शामिल हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों का विवरण **अनुलग्नक-II** में है।

चूंकि पात्र परिवार के सभी सदस्य एबी-पीएमजेएवाई के तहत स्वास्थ्य परिचर्या कवर के हकदार हैं, ऐसे पात्र परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना के तहत कवर किया जाता है।

अनुलग्नक-I

<u>योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा</u>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**पात्र परिवारों की संख्या**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	23,785
आंध्र प्रदेश	61,47,562
अरुणाचल प्रदेश	98,844
असम	30,03,069
बिहार	1,21,10,526
चंडीगढ़	79,226
छत्तीसगढ	41,44,847
दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	47,578
गोवा	41,098
गुजरात	49,85,484
हरियाणा	17,24,837
हिमाचल प्रदेश	5,32,396
जम्मू और कश्मीर	6,70,010
झारखंड	31,18,620
कर्नाटक	69,01,440
केरल	23,97,610
लद्दाख	12,120
लक्षद्वीप	1,628
मध्य प्रदेश	93,27,963
महाराष्ट्र	93,05,910
मणिपुर	3,07,908
मेघालय	3,85,708
मिजोरम	2,16,584
नगालैंड	2,59,468
पुदुचेरी	1,14,968
पंजाब	16,65,113
राजस्थान	66,37,371
सिक्किम	44,228
तमिलनाडु	86,48,748
तेलंगाना	29,02,621
त्रिपुरा	5,49,554
उत्तर प्रदेश	1,31,23,663
उत्तराखंड	5,97,682
दिल्ली*	6,54,041
पश्चिम बंगाल*	1,24,37,482
ओडिशा*	67,80,308
कुल	12,00,00,000

*संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा राज्य प.बंगाल और ओडिशा पीएमजेएवाई का कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं।

अनुलग्नक-II

बुंदेलखंड क्षेत्र में योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिले का नाम	पात्र परिवारों की संख्या	पात्र व्यक्तियों की संख्या
उत्तर प्रदेश	बाँदा	1,93,740	8,36,810
उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	1,10,355	5,27,603
उत्तर प्रदेश	हमीरपुर	1,28,594	5,59,279
उत्तर प्रदेश	जालौन	1,40,831	6,41,999
उत्तर प्रदेश	झांसी	1,76,070	7,44,689
उत्तर प्रदेश	ललितपुर	1,33,551	4,71,777
उत्तर प्रदेश	महोबा	95,297	4,18,320
मध्य प्रदेश	छतरपुर	3,57,018	13,82,638
मध्य प्रदेश	दमोह	3,17,575	10,78,753
मध्य प्रदेश	दतिया	1,43,282	6,62,786
मध्य प्रदेश	पन्ना	2,18,436	8,43,271
मध्य प्रदेश	सागर	5,09,982	18,38,555
मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	2,36,930	10,22,660

*****